विधान परिषद् के प्रथम सत्र, **2023** के द्वितीय-गुरूवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-**1** का उत्तर-

---

प्रश्न	उत्तर
1(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि माह जून, 2022 में डॉक्टरों के स्थानान्तरण में स्थानान्तरण नीतियों का पालन करते हुए डॉक्टरों के स्थानान्तरण किये गये है?	जी हाँ। किन्तु स्थानान्तरण में कतिपय अनियमिततायें पाई गई हैं।
(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अनियमिततायें भी पायी गयी है?	उपरोक्तानुसार।
(ग) यदि हाँ, तो उक्त अनियमितताओं के लिए कौन-कौन उत्तरदायी हैं और उनके विरूद्व अब तक क्या कार्यवाही हुई है?	पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्तर पर माह जून, 2022 में किये गये चिकित्सकों/विभिन्न संवर्ग के स्थानान्तरण में अनियमितताओं हेतु अन्तर्ग्रस्त पाये गये अधिकारियों /कर्मचारियों के विरूद निम्नानुसार कार्यवाही की गयी है:- शासन के समदिनांकित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25.07.2022 द्वारा डा0 राकेश कुमार गुप्ता (व0क्र0-6588), अपर निदेशक (पैरामेडिकल), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ, डा0 अशोक कुमार पाण्डेय (व0क्र0-6623), अपर निदेशक (स्वास्थ्य/प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ, डा0 अरविन्द कुमार वर्मा (व0क्र0-9621), संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-4(1) के अंतर्गत निलम्बित किया गया तथा उक्त चिकित्साधिकारियों के विरूद्व शासन के समदिनांकित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.07.2022 द्वारा नियम-7 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी है। शासन के पत्र दिनांक 25.07.2022 द्वारा मो0 इसराइल, प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा

महानिदेशालय को निलम्बित किये जाने के निर्देश निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को दिये गये, जिसके क्रम में महानिदेशालय के आदेश दिनांक 26.07.2022 द्वारा मो0 इसराइल को निलम्बित कर दिया गया।

महानिदेशालय के आदेश दिनांक 04.08.2022 द्वारा श्री इन्द्रेश मणि त्रिपाठी, प्रधान सहायक को निलम्बित किया गया है।

शासन के आदेश दिनांक 28.07.2022 द्वारा डा0 निरूपमा दीक्षित (व0क्र0-6407), निदेशक (पैरामेडिकल), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ का नियम-10(2) के अंतर्गत कार्यवाही की गयी।

शासन के समदिनांकित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.07.2022 द्वारा डा0 अनिल कुमार वर्मा (व0क्र0-10162), संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ, डा0 हीरा लाल (व0क्र0-9111), संयुक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ, डा बी0के0एस0 चौहान (व0क्र0-8482), संयुक्त निदेशक (कार्मिक), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ, डा0 सुधीर कुमार यादव (व0क्र0-8910), संयुक्त निदेशक (कार्मिक), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ, डा0 राज कुमार (व0क्र0-10372क), संयुक्त निदेशक (कार्मिक), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के विरूद्ध नियम-7 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी है।

शासन के समदिनांकित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.07.2022 द्वारा डा0 वेद ब्रत सिंह (व0क्र0-5993), तत्कालीन महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ सम्म्प्रति सेवानिवृत्त एवं डा0 अनुराग भार्गव (व0क्र0-6758), अपर निदेशक (कार्मिक), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी है।

ब्रजेश पाठक
उप मुख्यमंत्री,
उ0प्र0 शासन।